प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**.....वर्ष ....**2023**.
2. प्र.इ.रि.सं.....167/**2023**..... दिनांक .....30/6/2023.....

(I) * अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018)**.धारा **7**

(II) * अधिनियम ....धारा – .....

(III) * अधिनियम.....–..... धाराएं.....–.....

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं .....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....515.....समय.....7:10pm.....

(ब) अपराध घटने का दिन व समय– बुधवार **दिनांक 29.06.2023 वक्त 04.39 पीएम**

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 22.06.2023 ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – उत्तर, लगभग 80 किलोमीटर

(ब) पता – **लूणकरणसर जिला बीकानेर**

बीटसंख्या.....–.....जुरायमदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....–.....

6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम – **श्री लीलाधर उर्फ भरत पारिक**

(ब) पिता/पति का नाम – श्री अमरचंद

(स) जन्म तिथि/आयु – **26 वर्ष**

(द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**

(य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह .....

(र) पेशा – खेतीवाडी

(ल) पता – वार्ड नम्बर 7 हाल सेक्टर नम्बर 3 लुणकरणसर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–

श्री किशन सिंह पुत्र श्री रणसिंह जाति राजपूत उम्र 56 साल निवासी ग्राम मजावडा तहसील बल्वनगर जिला उदयपुर हाल निवासी पूगल जिला बीकानेर हाल निवासी आर.सी. पी. कॉलोनी के क्वार्टर नम्बर 31 लुणकरणसर जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक कम रीडर कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लुणकरणसर जिला बीकानेर

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .....–.....
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .....–.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 22.06.2023 को परिवादी श्री लीलाधर उर्फ भरत निवासी लुणकरणसर ने जरिये दूरभाष कार्यालय हाजा पर अति0पुलिस अधीक्षक को बताया मुझे पुलिस थाना लूणकरणसर में 151 में गिरफतार कर एसडीएम लूणकरण के सामने पेश किया था जिसमें मैंने जमानत करवा ली, उसके बाद किसी ने मेरे पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया तो पुलिसथाना लूणकरणसर में मुझे बुलाकर 122 की कार्यवाही कर दी। उसके बाद श्री किशनसिंह पेशकार हर पेशी पर मेरे से रूपयो की मांग करता है। मैंने कार्यवाही बन्द करवाने के लिए श्री किशनसिंह पेशकार से बात की तो मेरी मदद करने की एवज में मेरे से 50,000 रू. रिश्वत की मांग की है। मैं श्री किशनसिंह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। जिस पर वक्त 04.10 पीएम पर श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक, मन पुलिस निरीक्षक, श्री भगवानदास कानि0 मय डिजिटल वाईस रिकार्डर, मैमोरी कार्ड, कार्यालय का लैपटॉप व प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन मय कानि. चालक श्री महेश सिंह के कार्यालय हाजा से रवाना होकर कस्बा लुणकरणसर से थोडा पहले अमन होटल के सामने पहुंचे तो परिवादी श्री लीलधर उर्फ भरत पारीक के मोबाईल नंबर 8209414388 पर कॉल कर बुलाया। जिस पर एक व्यक्ति मय मोटरसाईकिल के हमारे पास आया, जिसे पूछने पर उसने अपना परिचय लीलाधर उर्फ भरत पारीक पुत्र श्री अमरचन्द जाति ब्राह्मण उम्र 24 साल निवासी वार्ड नंबर 7, लूणकरणसर जिला बीकानेर पेशा व्यापार होना बताया। श्री लीलाधर को श्री महावीर प्रसाद शर्मा अति.पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय दिया। पूछताछ पर परिवादी ने बताया कि रिकॉर्ड इत्यादि में मेरा नाम लीलाधर पुत्र अमरचन्द ही है परन्तु बोलचाल में लोग मुझे भरत के नाम से भी जानते पहचानते है।

परिवादी श्री लीलाधर ने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " प्रार्थी को जनवरी 2023 पुलिसथाना लूणकरणसर द्वारा 151 में गिरफतार करके SDM लूणकरण के सामने पेश किया जिसमें प्रार्थी ने जमानत करवा ली उसके बाद किसी ने मेरे उपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया तब पुलिसथाना लूणकरणसर ने मुझे थाने बुलाकर मेरे उपर 122 की कार्यवाही कर दि और उसी दिन SDM के पेश कर दिया तब SDM के पेशकार श्री किशनसिंह ने मुझे डराया की छः माह के लिए जेसी जाएगा नही तो पचार हजार रूपये मंगवाकर मुझे देवों मैंने मेरे परिचित से तीस हजार रूपये मंगवाकर श्री किशनसिंह पेशकार को दे दिए तो मुझे जमानत देकर छोड़ दिया उसके बाद हर तारीक पेशी पर रूपयो की मांग करता है। आज मैंने इस कार्यवाही को बन्द करवाने के लिए श्री किशनसिंह पेशकार से बात की तो मेरी मदद करने की एवज में मेरे से 50 हजार रिश्वत की मांग की है. मैं रिश्वत नही देना चाहता हूं. श्री किशनसिंह ने मुझे आज साम को अपने निवास पर बुलाया है. श्री किशनसिंह मुझे अपने निवास पर बुलाकर रिश्वत की मांग करेगा में उसे रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हूं मेरी पुर्व से श्री किशनसिंह से कोई रंजीस नही है ना हीं पहले से रूपयो का उधार लेन देन है. कृपया उचित कानुनी कार्यवाही करें। दिनांक 22/06/2023 प्रार्थी एसडी–लीलाधर उर्फ भरत 8209414388"। पूछताछ पर परिवादी ने उक्त कथनो की ताईद करते हुए बताया कि मैं आज ही रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। परिवादी के प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त मजिद से मामला पीसी एक्ट की परिधि में आता है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने पर मन् पुलिस निरीक्षक गुरमेल सिंह ने परिवादी श्री लीलाधर द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर साथ आये परिवादी श्री लीलाधर व कानि0 श्री भगवान दास का आपसी परिचय करवाया तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर बंद करने की विधि समझाईश की गई।

वक्त 06.25 पीएम पर डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर खाली होना सुनिश्चित किया गया व रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु श्री भगवान दास कानि0 134 को सुपुर्द कर हिदायत हुई कि संदिग्ध अधिकारी के निवास की नजदीक पहुंचकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर अपना पूर्ण परिचय देकर सुपुर्द करें। तत्पश्चात परिवादी व कानि0 श्री भगवान दास को रिश्वत मांग सत्यापन करवाने हेतु मय परिवादी व परिवादी के मोटरसाइकिल पर रवाना किया गया। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के गोपनीय स्थान पर मुकीम हुआ। वक्त 08.10 पीएम पर श्री भगवान दास कानि0 134 मय परिवादी श्री लीलाधर के मन् पुलिस निरीक्षक के पास हाजिर आया व श्री भगवानदास कानि ने मुझे बताया कि मैंने परिवादी लीलाधर को वक्त 07.48 पीएम पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर हिदायत अनुसार रिश्वत राशि मांग के सत्यापन हेतु संदिग्ध अधिकारी के निवास के

लिए रवाना किया था और मैं कुछ दूरी पर खड़ा रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री लीलाधर वापिस आया। जिससे डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर बंद कर अपने पास रखा व परिवादी ने मुझे बताया कि पेशकारजी अपने निवास पर हाजर नहीं मिले तब मैने उनके फोन नम्बर 9783146595 पर मेरे फोन नम्बर 8209414388 से वार्ता की तो पेशकार ने मेरे से कहा की मै बाहर हु सुबह मिलना। परिवादी ने भी श्री भगवानदास कानि के कथनों की ताईद करते हुए उक्त कथन बताये। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया जिसमें रिश्वत राशि मांग सत्यापन से संबंधित वार्ता रिकॉर्ड होना नही पायी गई। इसलिय फर्द ट्रासकिप्ट नही बनाने का निर्णय लिया गया।तत्पश्चात परिवादी को आवश्यक हिदायत की कि कल प्रात श्री भगवानदास कानि मय डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर आपके पास आ जायेगा, आप पेशकार से मिल कर रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाना। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक, श्री महावीर प्रसाद अति.पुलिस अधीक्षक, श्री भगवानदास कानि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के जरिये सरकारी वाहन के ब्यूरो कार्यालय बीकानेर के लिए रवाना होकर कार्यालय हाजा पर पहुचे। डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड की सुरक्षित अलमारी में रखा।

दिनांक 23.06.2023 वक्त 04.12 पीएम पर परिवादी श्री लीलाधर ने जरिये दूरभाष मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि श्री किशनसिंह पेशकार अपने कार्यालय में उपस्थित है आप श्री भगवानदास कानि को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर लुणकरसर भेज दो। जिस पर श्री भगवानदास कानि को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु लुणकरणसर पहुच परिवादी से सम्पर्क करने की हिदायत देकर रवाना किया।

वक्त 09.45 पीएम पर श्री भगवानदास कानि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के उपस्थित आये। श्री भगवानदास कानि ने डिजिटल वाईस रिकार्डर पेश करते हुए बताया कि मै यहा से रवाना होकर लुणकरणसर पहुचा। परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को श्री किशनसिंह पेशकार से रिश्वती राशि मांग सत्यापन करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालु कर सुपुर्द कर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से एसडीएम कार्यालय लुणकरणसर की तरफ रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादी मय मोटर साईकिल के मेरे पास वापस आया। मैने परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर बंद कर अपने पास रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि श्री किशनसिह पेशकार जी कार्यालय में ही है मगर उनके पास कुछ पुलिसकर्मी खडे है इसलिए उन्होने मेरे से वार्ता नहीं की। मैं उनके पास कुछ देर बाद वापस जाउंगा। जिस पर हम दोनो कुछ समय के एसडीएम कार्यालय के आस पास ही कुछ देर मुकीम हुए। कुछ समय बाद मैने डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर आरोपी श्री किशन सिंह पेशकार से सम्पर्क करने हेतु एसडीएम कार्यालय लुणकरणसर की तरफ रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादी एसडीएम कार्यालय से वापस मेरे पास आया व ईशारे बताया कि पेशकारजी कार्यालय में उपस्थित नहीं है वह अपने निवास स्थान सरकारी आवास लुणकरणसर पर चले गये है। जिस पर हम दोनो परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना होकर पेशकार के निवास स्थान से थोडा पहले पहुच मै मोटर साईकिल से उतर गया तथा परिवादी मय डिजिटल वाईस रिकार्डर के पेशकार के सरकारी आवास लुणकरणसर की तरफ चला गया। कुछ समय बाद परिवादी पेशकार के निवास स्थान से मेरे पास आया। मैने परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास रखा तथा परिवादी ने मुझे बताया कि श्री किशन सिंह पेशकार जी अपने सरकारी आवास पर मुझे मिले। जिससे मैने बातचीत की तो किशन सिंह ने मेरे से बातचीत करते हुए 50000/–रूपये रिश्वत राशि की मांग की है मेरे द्वारा तीस हजार ही दे सकता हूं कहने पर सुबह जल्दी एसडीएम साहब से हाथा–जोडी कर निवेदन करने के लिए कहा। जिस पर आपके निर्देशानुसार मैने परिवादी को वही पर छोड कर मैं रवाना होकर उपस्थित आया हू। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालु कर सुना गया तो उक्त तथ्यों की ताईद हुई। वाईस रिकार्डिग के अनुसार परिवादी को श्री किशनसिंह पेशकार द्वारा कल सुबह जल्दी एसडीएम साहब से कार्यालय में मिलने का कहा है इसलिए कल पुन श्री भगवानदास को डिजिटल वाईस रिकार्डर देकर श्री किशनसिंह पेशकार से सम्पर्क करने हेतु रवाना किया जायेगा। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा।

दिनांक 24.06.2023 वक्त 07.15 एएम पर श्री भगवानदास कानि को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु लुणकरणसर पहुच परिवादी से सम्पर्क करने की हिदायत देकर रवाना किया। आरोपी श्री किशन सिंह पेशकार द्वारा परिवादी से 50000 रू रिश्वती राशि की मांग की जा रही है तथा आज ही पेशकार

परिवादी से रिश्वती राशि ले सकता है। इसलिए दो स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु श्रीमान अधीक्षक, पीबीएम बीकानेर के नाम की तहरीर जारी की।

वक्त 01.00 पीएम पर श्री भगवानदास कानि मय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के उपस्थित आये। श्री भगवानदास कानि ने डिजिटल वाईस रिकार्डर पेश करते हुए बताया कि मै यहा से रवाना होकर लुणकरणसर पहुचा। परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी को श्री किशनसिंह पेशकार से रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के चालु कर सुपुर्द कर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से एसडीएम कार्यालय लुणकरणसर की तरफ रवाना किया। कुछ समय बाद परिवादी मय मोटर साईकिल के मेरे पास वापस आया व ईशारा कर बताया कि पेशकारजी अपने सरकारी आवास पर है जिस पर हम दोनो परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना होकर पेशकार के निवास स्थान पर थोडा पहले मै उतर गया तथा परिवादी पेशकार के निवास स्थान पर जाकर कुछ समय बाद मेरे पास आया। मैने परिवादी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास रखा तथा परिवादी ने मुझे बताया कि श्री किशन सिंह पेशकार जी अपने सरकारी आवास पर मुझे मिले। उन्होने कहा कि मेरा स्वास्थ्य खराब है, सोमवार को आ जाना। जिस पर निर्देशानुसार परिवादी को लुणकरणसर में छोड कर उपस्थित आया। डिजिटल वाईस को मन पुलिस निरीक्षक द्वारा चला कर सुना तो उसमें रिश्वती राशि मांग से संबंधित कोई वार्ता रिकॉर्ड होना नहीं पायी गई। इसलिए उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट नहीं बनाने का निर्णय लिया गया। पीबीएम अस्पताल बीकानेर से तलबशुदा श्री रतन सिह व श्री रामसुख नर्सिग ऑफिसर पीबीएम बीकानेर उपस्थित आये। उक्त दोनो गवाहान से परिचय उपरांत बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए मन पुलिस निरीक्षक द्वारा टेलिफोन करने पर तुरन्त कार्यालय हाजा पर उपस्थित आने हेतु आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किये।

दिनांक 25.06.2023 वक्त 06.45 पी.एम पर परिवादी श्री लीलाधर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाह श्री रतन सिंह व श्री रामसुख बुलाया। उक्त दोनो गवाहान का परिवादी श्री लीलाधर से आपसी परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत को पढकर सुनाया तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के संबंध में अवगत करवाया। दोनो गवाहान को प्रकरण में स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति चाहने पर दोनो गवाहान ने स्वतंत्र गवाह रहने की स्वीकृति दी। तत्पश्चात दोनो गवाहान की उपस्थिति में मन पुलिस निरीक्षक के पास रखा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकाल कर उसके मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता को दोनो गवाहान व परिवादी के समझ सुन सुन कर फर्द ट्रासंकिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता बनानी शुरू की। वक्त 10.00 पीएम तक फर्द रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर उक्त वार्ता का एक एक पेन ड्राईव तैयार कर एक पेन ड्राईव को सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर संबंधित के हस्ताक्षर करवाया तथा दूसरे मैमोरी कार्ड को अन्वेषण प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 22.06.2023 व 24.06.2023 को परिवादी व आरोपी श्री किशन सिह पेशकार के मध्य हुई वार्ता में रिश्वती राशि मांग से संबंधित वार्ता रिकार्ड नही होने के कारण उक्त दोनो वार्ताओं की फर्द तैयार नहीं की गई। तत्पश्चात बाद हिदायत परिवादी व दोनो गवाहान को रूखस्त किया।

दिनांक 26.06.2023 वक्त 08.05 एएम पर दोनो स्वतंत्र गवाह श्री रामसुख व श्री रतन सिह कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये तथा ब्यूरो का स्टाफ भी कार्यालय में उपस्थित है तथा लक्ष्मी टूर एण्ड ट्रेवल्स टैक्सी सर्विस बीकानेर से दो प्राईवेट वाहन मय चालको के उपस्थित आये। सभी को ब्रीफ कर आवश्यक हिदायत की गई। तत्पश्चात वक्त 08.55 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर श्रीमति बिमला महिला कानि से प्राईवेट वाहन के डेसबोर्ड में गवाहान के समक्ष रखवायी गई। तत्पश्चात मन् गुरमेल सिंह पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री रामसुख, श्री रतन सिंह, ब्यूरो स्टाफ श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 76. श्री योगेन्द्र सिंह कानि. 482, श्री जमील अहमद कानि. 147, श्री भगवानदास कानि. 134, श्रीमती बिमला महिला कानि. नम्बर 229. श्री मुकेश कुमार वरिष्ठ सहायक मय लैपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, ट्रेप बॉक्स इत्यादि ट्रेप कार्यवाही से संबंधित आवश्यक सामग्री लेकर जरिये दो प्राईवेट वाहनों मय चालको के ब्यूरो कार्यालय से लूणकरणसर की तरफ रवाना होकर वक्त 9.50 ए.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमरायान के उपरोक्त फिकरा का रवाना शुदा रामा होटल ग्राम हंसेरा के पास पहुंचा। जहां से परिवादी श्री लीलाधर से जरिये मोबाईल कॉल सम्पर्क करने पर उसने थोड़ी देर में रामा होटल पहुंचने बाबत बताया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमरायान मुकीम रामा

होटल हुआ। वक्त 10.35 ए.एम.पर परिवादी श्री लीलाधर अपनी मोटरसाईकिल से मन् पुलिस निरीक्षक के समीप हाजिर आया। रिश्वत में दी जाने वाली राशि 50,000 रू. के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया कि मेरे पास अभी तक रिश्वत 20,000 रू. की ही व्यवस्था हो पाई है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही 20,000रू. में ही किये जाने का निर्णय लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई।

दिनांक 26.06.2023 वक्त 10.40 ए.एम.पर परिवादी श्री लीलाधर ने मन पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर रूबरू उपरोक्त गवाहान के कार्यवाही हेतु 500–500 रूपये के 40 नोट कुल बीस हजार रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1 GV 850171
2.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8 EQ 358528
3.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2 FU 799413
4.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0 VE 745394
5.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6 AT 118592
6.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9 NN 287067
7.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7 WT 584105
8.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5 ND 753488
9.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3 SM 727587
10.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5 QM 044998
11.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1 NC 291531
12.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1 NC 291522
13.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5 AQ 556203
14.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2 QR 355434
15.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0 ET 169343
16.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8 GN 486133
17.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9 FM 604117
18.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3 SQ 975739
19.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1 EN 937156
20.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6 UU 101024
21.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4 RK 843553
22.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6 EF 824991
23.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3 EQ 607119
24.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1 UB 240214
25.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8 MW 595876
26.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4 FE 350784
27.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8 GH 916027
28.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1 BH 223846
29.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	9 PG 849159
30.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	6 RR 291862
31.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3 DR 452520
32.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	1 HT 981125
33.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4 BH 201644
34.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	4 MM 153363
35.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	7 KT 820864
36.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	5 AG 420797
37.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	0 EW 103461
38.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	3 PQ 176228
39.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	2 VG 603277
40.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8 VH 750453

श्रीमती बिमला महिला कानि. से साथ लाये हुए प्राईवेट वाहन के डेस्क बोर्ड से फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की शीशी मंगवाकर एक अखबार के कागज पर उक्त सभी नोटों को रखवाकर श्रीमती बिमला महिला कानि. से नोटो पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री लीलाधर की जामा तलाशी गवाह श्री रतन सिंह से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक सामान नहीं पाया गया। उक्त पाउड़र लगे नोट परिवादी के पहने हुए शर्ट की उपरी सामने की बांयी जेब में श्रीमती बिमला महिला कानि. से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह श्री किशनसिंह द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडरयुक्त नोट उसे देवे, उससे हाथ नहीं मिलावें, लेनदेन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपी रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि के लेन–देन के बाद किसी बहाने से ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनों हाथों को फेर कर ईशारा करे, यदि ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मुझ पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं. 9414500599 पर मिस्ड कॉल/कॉल करके इशारा करें। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में श्रीमती बिमला महिला कानि. के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोड़ियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की आपसी रसायनिक क्रिया–प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रसायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में ही रख दिया गया। श्रीमती बिमला महिला कानि0 के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फिनोल्फ्थलीन पाउड़र की शीशी श्रीमती बिमला को सुपुर्द कर कार्यालय पहुंच वापिस मालखाना में रखवाने की हिदायत कर रवाना की गई। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर दोनों गवाहान, परिवादी एवं ट्रेपपार्टी में शामिल समस्त स्टाफ ने अपने–अपने हाथ साफ पानी एवं साबुन से धोये। परिवादी को उसका मोबाइल साथ रखने की अनुमति दी गई। फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी नोट नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सभी संबंधित को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान कर अपने अपने हस्ताक्षर किए।

दिनांक 26.06.2023 वक्त 11.40 ए.एम. पर परिवादी ने बताया कि श्री किशनसिंह दिनांक 24.06.2023 को मुझे आज दिनांक 26.06.2023 सोमवार को बुलाया है क्योंकि उस दिन उसकी तबीयत खराब होने से उसने मेरे से रिश्वत के संबंध में कोई बात नही की थी, संभवतः वह आज अपने ऑफिस में आया है अथवा नहीं, इसकी जानकारी करके मैं आपको फोन कर दूंगा, आप लोगो के नजदीक आने के बाद ही मैं श्री किशनसिंह से लेन देन की बात करूंगा। जिस पर परिवादी श्री लीलाधर को आवश्यक हिदायत कर कानि0 श्री भगवान दास को मय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर के परिवादी के साथ उसकी मोटरसाईकिल से रवाना आरोपी के कार्यालय लूणकरणसर की तरफ किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय हमरायान मुकीम रामा होटल हुआ। वक्त 12.55 पी.एम.पर परिवादी लीलाधर व कानि० भगवानदास जरिये मोटरसाईकिल मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष हाजिर आये। कानि0 श्री भगवानदास ने डिजीटल वाईस रिकॉर्ड मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि हम दोनो रवाना होकर एसडीएम कार्यालय लूणकरणसर के पास पहुंचकर मैंने परिवादी को एसडीएम कार्यालय में भेजकर आरोपी श्री किशनसिंह की उपस्थिति के बारे मे मालूमात करने का कहा था। जिस पर परिवादी ने वापस आकर मुझे बताया कि श्री किशनसिंह पेशकार जी की तबीयत खराब होने के कारण वे अपने गांव गये हुए है तथा वापस कब आयेंगे, इसके बारे में कार्यालय के कर्मचारियों ने कुछ नही बताया है। परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री भगवान दास के उक्त कथन की ताईद की। तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को जरिये फोन निवेदन किये गये। परिवादी के कथनानुसार आरोपी श्री किशनसिंह के अपने कार्यालय लुणकरणसर में उपस्थित नहीं होने के कारण आज ट्रेप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। लिहाजा श्री रामसुख से परिवादी श्री लीलाधर के पहने हुए लॉवर की साईड की बांयी जेब से फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त राशि 20000 रू के नोटों को निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। ताबाद परिवादी श्री लीलाधर को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत की गई जब भी आपके पास आरोपी श्री किशन सिंह का फोन अथवा बुलावा आवे तो अग्रिम कार्यवाही हेतु तुरन्त मन पुलिस निरीक्षक से

सम्पर्क करे। तत्पश्चात परिवादी श्री लीलाधर को बाद मुनासिब हिदायत के होटल रामा से ही रूखस्त किया गया एवं मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान व साथ लायी गई सामग्री के जरिये साथ लाये वाहनों से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय बीकानेर पहुचा। दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया गया। ट्रेप बॉक्स मय फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त राशि 20000 रू का लिफाफा सुरक्षित मालखाना रखवाया गया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मन पुलिस निरीक्षक द्वारा अलमारी में सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 29.06.2023 वक्त 11.45 एएम पर परिवादी श्री लीलाधर ने जरिये दूरभाष बताया कि आज ईद का अवकाश होने पर भी श्री किशनसिंह पेशकार जी अपने कार्यालय में अकेले बैठे है। आज मेरे से रिश्वत राशि की मांग कर ले सकते है। इसलिए आप लुणकरणसर पहुचो। जिस पर ब्यूरो के स्टाफ व स्वतंत्र गवाह को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया। पाबंद शुदा दोनो स्वतंत्र गवाह श्री रतन सिंह व श्री रामसुख उपस्थित आये व ब्यूरो स्टाफ हाजिर है व प्राईवेट वाहन मय चालक भी तलबशुदा उपस्थित आया।

वक्त 02.30 पीएम.पर श्रीमती बिमला महिला कानि से मालखाना से परिवादी द्वारा रिश्वत के रूप में दी जाने वाली फिनोपथलीन पाउडर युक्त 20000 रू रिश्वती राशि लिफाफे मे रखी हुई थी को रूबरू गवाहान के मालखाना से निकलवाकर प्राईवेट वाहन के डेसबोर्ड में श्रीमती बिमला महिला कानि से रखवा कर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहा श्री रतन सिंह, श्री रामसुख व ब्यूरो स्टाफ श्री राजेश कुमार मुख्य आरक्षक नम्बर 76, श्री मंगतुराम मुख्य आरक्षक नम्बर 71, श्री जमील अहमद कानि, श्रीमती बिमला महिला कानि, श्री भगवानदास कानि मय लैपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, कार्यवाही में पूर्व से प्रयुक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड व आवश्यक ट्रेप सामग्री के जरिये प्राईवेट वाहन चालक के ट्रेप कार्यवाही हेतु लुनकरणसर के लिए रवाना हुआ। रास्ते में परिवादी लीलाधर को जरिये दूरभाष आरोपी श्री किशन सिंह पेशकार की मौजुदगी का पता कर बतावे। जिस पर परिवादी लीलाधर ने जरिये दूरभाष बताया कि पेशकारजी अपने निवास स्थान पर उपस्थित है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को कस्बा लुणकरणसर से सूरतगढ की तरफ मुख्य सडक पर पहुचने की हिदायत की गई। वक्त 04.05 पीएम पर परिवादी श्री लीलाधर मय अपनी मोटर साईकिल के मन पुलिस निरीक्षक के पास आया तथा बताया कि श्री किशन सिंह पेशकार जी अपने निवास स्थान पर है तथा वह अब मेरे से रिश्वती राशि ले लेगे। जिस पर श्रीमती बिमला महिला कानि से प्राईवेट वाहन के डेसबोर्ड में रखी फिनोपथलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि 20000 रू जो लिफाफे को गाडी के डेसबोर्ड से निकलवाकर लिफाफे में से राशि निकलवाकर श्रीमती बिमला महिला कानि ने नोटो को देखकर बोलकर नम्बरों का मिलान रूबरू दोनो गवाहान के पूर्व तेयार फर्द पेशकशी दिनांक 26.06.2023 से करवाया तो सभी नोटो के नम्बर मिलान होना पाया गया। परिवादी की गवाह श्री रामसुख से जामा तलाशी लिवाई गई तो परिवादी के पास कोई आपतिजनक दस्तावेज व राशि नहीं पायी गई। तत्पश्चात उक्त रिश्वती राशि 20000 रू परिवादी के पहनी हुई लॉवर की साईड की दाहिनी जेब में श्रीमती बिमला महिला कानि से रखवाये गये। श्रीमती बिमला महिला कानि को ट्रेप कार्यवाही टीम से पृथक कर आवश्यक हिदायत कर ब्यूरो कार्यालय एसयू बीकानेर जाने हेतु रूखस्त की गई। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी व श्री भगवानदास कानि को आरोपी के सरकारी आवास तहसील कार्यालय के पास लुणकरणसर की तरफ परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय प्राईवेट वाहन से उनके पीछे पीछे रवाना होकर आरसीपी आवासीय कॉलोनी व तहसील कार्यालय लुणकरणसर के पास पहुचा। परिवादी व श्री भगवानदास कानि मय परिवादी की मोटर साईकिल से आरोपी के सरकारी आवास की तरफ चले गये तथा मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य परिवादी के गोपनीय ईशारे के इंतजार में तहसील कार्यालय लुणकरणसर के पास पहुंच मुकीम हुए।

वक्त 04.39 पीएम. पर परिवादी श्री लीलाधर ने श्री किशन सिंह के सरकारी आवास नम्बर 31 लुणकरणसर से बाहर आकर रिश्वती लेन–देन का पूर्व से निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दोनो हाथ फेरते हुए अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ जिस पर मन पुलिस निरीक्षक, दोनो गवाहान, ब्यूरो स्टाफ के प्राईवेट वाहन से परिवादी की तरफ रवाना होकर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल सहित साथ लेकर श्री किशन सिंह के सरकारी आवास के सामने पहुंचे। परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मारूती अल्टो कार काले रंगे में बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह

श्री किशन सिह पेशकार है जिन्होने अभी अभी मेरे से मेरी फाईल के संबंध में बातचीत कर 20000 रू रिश्वती राशि लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में रखी है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक ने ट्रेप दल के सदस्यों के सामने अल्टो कार में बैठे व्यक्ति को अपना परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम किशन सिंह पुत्र श्री रणसिंह जाति राजपूत उम्र 56 साल निवासी ग्राम मजावडा तहसील बल्वनगर जिला उदयपुर हाल निवासी पूगल जिला बीकानेर हाल निवासी आर.सी.पी. कॉलोनी के क्वार्टर नम्बर 31 लुणकरणसर जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक कम रीडर कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लुणकरणसर जिला बीकानेर बताया। आरोपी श्री किशन सिंह को अल्टो से बाहर आने के लिए कहा गया जिस पर वह अल्टो कार से नीचे उतरा। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू करके आरोपी से उसका नाम पुनः पूछा तो उसने अपना किशनसिंह बताया व एसडीएम कोर्ट में बाबू होना बताया। किशनसिंह से परिवादी से रिश्वती राशि लेने बाबत पूछा तो ओरोपी किशनसिंह चुप हो गया व नीचे देखने लगा फिर किससे लिए बाबत पूछा तो धीरे से अस्पष्ट कहा फिर पुनः नाम पूछने पर आरोपी ने लीलाधर बताया। लीलाधर से कितने पैसे लिए बाबत पूछने पर आरोपी ने कहा बीस फिर किस काम के लिए है बाबत पूछा तो आरोपी ने बताया कि वो 122 में पत्रावली चल रही है, पत्रावली बंद करने बाबत पूछा तो कहा कि गलती हो गयी, माफ कर दो अस्थमा पेसेन्ट हूं माफ कर दो। फिर परिवादी श्री लीलाधर से पूछा कि आपने पैसे किस बात के लिए इनको दिए तो परिवादी ने बताया कि 122 की कार्यवाही के अन्दर मुझे बरी करने के खातीर, मै बा इज्जत बरी हूं पहले ही मैंने सारे सबूत दे रखे है, गवाह भी पेश कर दिये है फिर भी मेरे पर कार्यवाही वैसे ही चल रही है। परिवादी से पूछे की पैसे कहा रखे है तो परिवादी ने कहा कि जेब के अन्दर, फिर परिवादी से रिश्वती राशि रखने बाबत पूछा तो पेन्ट की दाहिनी जेब मे रखना बताया। फिर स्वतन्त्र गवाह को आरोपी की पहनी हुई पेन्ट से रिश्वती राशि निकालने को कहा। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द किया। उक्त वार्ताऐं ब्यूरो के डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई। जिसकी ट्रांसक्रिप्ट अलग से तैयार की जायेगी। फिर गवाह श्री रामसुख से आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब की तलाशी करवाई गई तो 500–500 रूपये के नोटों की थेई मिली जो श्री रामसुख को अपने पास सुरक्षित रखने को कहा। आरोपी का सरकारी आवास क्वाटर नम्बर 31 पर ताला लगा हुआ है तथा आरोपी की कार नम्बर आरजे 02 सीए 6813 को भी लॉक करवाया गया। घटना आवासीय क्वार्टरों के बीच का है यहां पर ट्रेप कार्यवाही हेतु उचित व्यवस्था नही होने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी को प्राईवेट वाहन मे बैठाकर मय दोनो गवाहान व ब्यूरो स्टाफ मय परिवादी के पुलिस थाना लूणकरणसर के लिए रवाना होकर पुलिस थाना लूणकरणसर पहुचा तथा श्री चन्द्रजीत सिंह उप निरीक्षक पुलिस से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु पुलिस थाने में एक कमरा खुलवाकर अग्रिम कार्यवाही शुरू की। आरोपी श्री किशन सिंह ने पूछने पर बताया कि लीलाधर के विरूद्ध 122 सीआपीसी की कार्यवाही की पत्रावली हमारे कार्यालय में पेण्डिग है। आरोपी किशन सिह से परिवादी से पूर्व में ली गई रिश्वती राशि बाबत पूछने पर बताया कि पूर्व में मैने लीलाधर से 15000 रू लिये थे। आरोपी किशन सिंह से पूर्व मे लिये गये 15000 रू व अभी प्राप्त की गई 20000 रू रिश्वती राशि में से उपखण्ड अधिकारी का हिस्सा है या नहीं बाबत पूछने पर बताया कि एसडीएम साहब को उक्त राशि बाबत कोई जानकारी नहीं है, ना ही पूर्व में ली गई राशि में से कोई राशि एसडीएम साहब को दी गई थी। उक्त दोनो 15000 रू व 20000 रू की राशिया मैने मेरे स्तर पर ली है। रिश्वती राशि लेन देन की ताईद होने पर ट्रेप बॉक्स मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में से दो नये साफ कांच के गिलास साफ साबुन पानी से धुलवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया गया जो सभी हाजरीन ने देखकर रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी किशन सिंह के दाहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचिट कर मार्क आरएच 1, आरएच 2 अंकित किये जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिये गये। दूसरे रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी किशन सिंह के बांये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचिट कर मार्क एलएच 1, एलएच 2 अंकित किये जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात रिश्वती राशि जो आरोपी के पहनी हुई काले रंग की पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब मे से गवाह श्री रामसुख से निकलवाई गई थी जो 500–500 रू के नोट की थेई मिली थी जो गवाह श्री रामसुख के पास

है। निर्देश पर गवाह श्री रामसुख ने नोटो को गिनकर 500–500 रू के 40 नोट कुल बीस हजार रूपये होना बताया। दोनो गवाहान ने बरामद नोटो के नम्बरो का मिलना पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी, सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत कार्यवाही दिनांक 26.06.2023 में अंकित नोटो के नम्बरो से मिलान किया तो फर्द पेशकशी के अनुसार ही नोटो के नम्बर पाये गये। आरोपी किशन सिंह के पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब से बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण फर्द में अंकित किये। उक्त नोट बीस हजार रिश्वती राशि को एक सफेद कपड़े की सहायता से सीलचीट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। आरोपी श्री किशन सिंह ने पूछने पर बताया कि लीलाधर के विरूद्ध 122 सीआपीसी की कार्यवाही की पत्रावली कार्यालय मे मेरी अलमारी में रखी हुई है। जिसकी चाबी कार्यालय में ही रखी हुई है। आरोपी किशन सिंह ने पूछने पर बताया कि मेरे पहनी हुई पेन्ट की बांयी साईड की जेब मे मोबाईल है तथा पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में पर्स है। इसके अलावा मेरे पास अन्य कोई सामान नहीं है। आरोपी किशन सिह से पर्स व मोबाईल निकलवाकर टेबिल पर रखवाया गया। श्री किशन सिंह के पहनने के लिए एक अन्य पेन्ट की व्यवस्था करवाकर वरवक्त पहनी हुई पेन्ट बरंग काला को बदलवाई गई। तत्पश्चात एक काँच के साफ गिलास में साफ पानी भरवाया गया जिसमें सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब जिसमें से रिश्वती राशि बरामद हुई को गिलास के रंगहीन घोल में डूबोकर धोवन लिया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर सीलचिट कर मार्क पी 1 व पी 2 अंकित किये जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिये गये। आरोपी किशन सिंह के पहनी हुई पेन्ट जिसकी साईड की दाहिनी जेब से रिश्वती राशि बरामद हुई थी, उक्त पेन्ट की जेब को सुखाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडै की थैली में डालकर विवरण अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी ली गई। फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब की जाकर हाजरीन को पढाई गई जिन्होने फर्द पढ व समझ कर सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये।

तत्पश्चात परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवहान की उपस्थिति में नजरी नक्शा व हालात मौका तैयार किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल मिसल किया गया। आरोपी श्री किशन सिंह से सरकारी आवास आरसीपी कॉलोनी क्वार्टर संख्या 31 लूणकरणसर में क्या सामान है तथा कर में क्या है बाबत पूछता तो आरोपी किशन सिंह ने अपना सरकारी आवास का ताला आरोपी से खुलवाकर सभी को साथ लेकर उक्त भवन में प्रवेश किया व आवास में एक चारपाई, पहनने के कपडे एक अटेची में व रसोई का सामान, एक टेबल कुर्सी रखी हुई है, अटेची को खोल कर चैक किया तो उसमें पहनने के कपडो के अलावा कोई आपतिजनक वस्तु नहीं मिली। तत्पश्चात आरोपी के क्वार्टर के सामने आरोपी की अल्टो कार संख्या आरजे 02 सीए 6813 खडी है को आरोपी से खुलवाकर चैक किया तो उसमें कोई आपतिजनक सामग्री नहीं मिली ना ही कब्जा ब्यूरो ली गई। इसलिए उक्त दोनो की फर्द खाना तलाशी पृथक से तैयार नही करने का निर्णय लिया गया। कार को लॉक कर चाबी आरोपी के निवास पर छोडी गई। आरोपी के उक्त आवास का गेट आरोपी से बंद करवाकर ताला लगवाया गया,चाबी आरोपी ने अपने मकान के पास सुरक्षित स्थान पर रखवाई गई। तत्पश्चात समय 07.50 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लुणकरणसर की तरफ रवाना शुदा एसडीएम कार्यालय लुणकरणसर पहुचा। आरोपी किशन सिंह आगे आगे चल कर अपने कार्यालय के कमरा में प्रवेश कर अपनी टेबल की दराज से चाबी निकाल कर एक अलमारी खोल कर उसमें से प्रकरण संख्या 236/2023 धारा 122 सीआरपीसी सरकार बनाम लीलाधर की मूल पत्रावली पेश की। जिसे बतौर वजह सबूत जरिये फर्द कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रवाना पुलिस थाना लुणकरणसर पहुचा। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में ली गई पीतल की सील नम्बर 30 की फर्द नमूना सील नम्बर 30 तैयार की जाकर शामिल कागजात की गई। आरोपी श्री किशन सिह को जुर्म से आगाह कर नियमानुसार जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु चिकित्सा अधिकारी पीएचसी लुणकरणसर के नाम तहरीर लिखी जाकर श्री जमील अहमद कानि के साथ आरोपी श्री किशन सिंह को प्राईवेट वाहन से राजकीय चिकित्सालय लुणकरणसर रवाना किया गया।

वक्त 9.30 पीएम पर परिवादी श्री लीलाधर व आरोपी किशनसिंह के मध्य वक्त रिश्वत लेन देन हुई वार्ता को परिवादी द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड किया गया था। वार्ता

की उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को लैपटॉप से कनेक्ट कर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सुन सुन कर फर्द ट्रांसकिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन तैयार की गई। वक्त रिश्वत लेन देन वार्ता के दो पेन ड्राईव श्री भगवानदास कानि से तैयार करवाये गये। जिसमे से एक पेन ड्राईव को एक कपडे की थैली मे डालकर सिलचिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव को अनुसधांन हेतु खुला रखा गया। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त लेनदेन वार्ता तथा मौके पर पूछताछ व स्पष्टीकरण इत्यादी वार्ताओं की कुल 6 ऑडियों फाईल्स सेव है को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर से निकालकर उसके सेफ्टी कवर में डालकर उक्त मैमोरी कार्ड को एक सफैद कपडे की थैली में डालकर सीलचीट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पीतल की सील नम्बर 30 को तोडकर अनुपयोगी की गई जिसकी विस्तृत फर्द नष्टीकरण पीतल सील नम्बर 30 तैयार कर शामिल कागजात की गई। श्री जमील अहमद कानि, आरोपी श्री किशनसिंह को बाद स्वास्थ्य परीक्षण पेश कर बताया कि आरोपी किशन सिंह का बीपी हाई होने के कारण डाक्टर द्वारा उपचार किया गया है, आरोपी श्री किशन सिंह अब स्वस्थ है। आरोपी के स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट शमिल मिसल की गई।

दिनांक 30.06.2023 वक्त 12.40 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक हमराहियान दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ, गिरफ्तार शुदा आरोपी किशन सिंह मय प्रकरण के मालवजह सबूत शिल्ड शुदा रिश्वती राशि 20000रू, आरोपी के दोनो हाथों, पेन्ट के धोवन की सिल्ड शुदा 6 शिशिया, आरोपी के पहनी हुई पेन्ट का पैकेट, रिश्वती राशि वक्त लेन देन व मौके पर आरोपी का लिया गया स्पष्टीकरण से संबंधित हुई वार्ता का शिल्ड शुदा पेन ड्राईव, उक्त वार्ता का एक खुला पेन ड्राईव, शिल्ड शुदा मैमोरी कार्ड वगैरा,लैपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स, डिजिटल वाईस रिकार्डर इत्यादी साथ लेकर जरिये प्राईवेट वाहन से पुलिस थाना लुणकरणसर से रवाना शुदा पुलिस थाना सदर बीकानेर पहुचा। आरोपी श्री किशन सिंह को सुरक्षित पुलिस थाना सदर की हवालात में जमा करवाकर ब्यूरो कार्यालय पहुचा। प्रकरण सें संबंधित मालवजह सबूत मुताबिक फर्द के जमा मालखाना किया गया। आरोपी को दिनांक 30.06.2023 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 15 योम न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया कि आरोपी किशन सिंह पुत्र श्री रणसिंह जाति राजपूत उम्र 56 साल निवासी ग्राम मजावडा तहसील बल्वनगर जिला उदयपुर हाल निवास आर.सी.पी. कॉलोनी के क्वार्टर नम्बर 31 लुणकरणसर जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक कम रीडर कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लुणकरणसर जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री लीलाधर के विरूद्ध उप खण्ड कार्यालय लुणकरणसर में विचाराधीन 122 सीआरपीसी को बंद करवाने की एवज में रिश्वती राशि मांग के अनुशरण में वरवक्त ट्रेप कार्यवाही आरोपी किशन सिंह द्वारा परिवादी से 20,000/– रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना पाया जाने पर आरोपी श्री किशन सिंह पुत्र श्री रणसिंह जाति राजपूत उम्र 56 साल निवासी ग्राम मजावडा तहसील बल्वनगर जिला उदयपुर हाल निवासी पूगल जिला बीकानेर हाल निवासी आर.सी.पी. कॉलोनी के क्वार्टर नम्बर 31 लुणकरणसर जिला बीकानेर हाल कनिष्ठ सहायक कम रीडर कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लुणकरणसर जिला बीकानेर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

भवदीय,

(सुरमेल सिंह)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल युनिट बीकानेर

पुलिस निरीक्षक
भष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एस.यू.)
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गुरमेल सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री किशनसिंह पुत्र श्री रणसिंह हाल कनिष्ठ सहायक, कम रीडर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर, जिला बीकानेर विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 167/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

30.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 2155-58 दिनांक 30.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. जिला कलक्टर, बीकानेर।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर।

30.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।